भारत सरकार
भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2933
22 मार्च, 2021 को उत्तर के लिए नियत

डीजल/पेट्रोल वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित करने के लिए सरकार की नीति

2933. श्री अश्वनी वैष्णवः

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) डीजल और पेट्रोल वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित करने को बढ़ावा देने के लिए सरकार की क्या नीति है;

(ख) यदि भारतीय उद्यमी डीजल और पेट्रोल वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित करने हेतु रुपांतरण किट (कन्वर्जन किट्स) बनाते हैं तो सरकार कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी; और

(ग) ऐसी रूपांतरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए नियमों और अधिनियमों में कौन-कौन से सुधार किए जाने की आवश्यकता है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : महोदय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सूचित किया है कि वाहनों में हाइब्रिड विद्युत प्रणाली अथवा विद्युत किट के रेट्रो फिटमेंट के लिए सरकार ने दिनांक 01 मार्च, 2019 को जी.एस.आर 167(ई) को अधिसूचित किया है और उनके अनुपालन मानक एआईएस 123 के अनुसार होंगे। विस्तृत अधिसूचना अनुबंध-I में है।

साथ ही, सरकार ने दिनांक 18 अक्तूबर, 2018 के एस.ओ. 5333(ई) के माध्यम से बैटरी चालित परिवहन वाहनों को परमिट की आवश्यकता से छूट प्रदान की है। विस्तृत अधिसूचना अनुबंध-II में है।

*****

भारत का राजपत्र

असाधारण

भाग-II-खंड 3- उप-खंड (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

सं. 147 **नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 1,2019/फाल्गुन 10,1940)**

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च,2019

सा.का.नि. 167(अ).-केंद्रीय मोटरयान नियम,1989 का और संशोधन करने के लिए प्रारुप नियम मोटरयान अधिनियम,1988 (1988 का 59) धारा 212 की उपधारा(1) के अधीन अपेक्षानुसार भारत सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 748(अ), तारीख़ 7 अगस्त,2018 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3, उपखंड (i) में जिसको प्रकाशित किया गया था जिसमें प्रभावित सभी व्यक्तियों द्वारा उस तारीख से, प्रारुप नियमों से अंतर्विष्ट उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करवाई गई थीं, से तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किए गए थे;

और उक्त प्रारुप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है;

अतः, अब केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम,1988 (1988 का 59) की धारा 110 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (प्रथम संशोधन) नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख़ को प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियम,1989 नियम 115 घ के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्

"115 घ मोटर यानों में संकर वैद्युत प्रणाली या विद्युत किट का रिट्रोफिटमेंट- (1) सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट मोटर यानों में संकर विद्युत प्रणाली का रिट्रोफिटमेंट अथवा विशुद्ध विद्युत प्रणाली किट के फिटमेंट के साथ शुद्ध विद्दुत संचालन के लिए मोटर वाहनों का संपरिवर्तन, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में यथावनिर्दिष्ट मानकों के अनुपालन के लिए सुनिश्चित किया जाएगा।

सारणी

क्र.सं.	रेट्रो-फिटमेंट या रुपांतरण और मोटर वाहन श्रेणियों का प्रकार	अनुपालन मानक
(क)	3500 किलोग्राम से अनधिक सकल यान भार वाले एल,एम और एन श्रेणियों के मोटर वाहनों में संकर वैद्युत प्रणाली किट का रिट्रोफिटमेंट	*एआईएस-123 (भाग 1) में निर्धारित अपेक्षाओं के लिए सुनिश्चित किया जाएगा
(ख)	3500 कि.ग्रा. से अधिक सकल यान भार वाले एम और एन श्रेणियों के मोटर वाहनों में संकर वैद्युत प्रणाली किट का रिट्रोफिटमेंट	*एआईएस-123 (भाग 2) में निर्धारित अपेक्षाओं के लिए सुनिश्चित किया जाएगा
(ग)	एल, एम, एन 1 और 2 श्रेणियों के मोटर वाहनों के इंजन को प्रतिस्थापित करके विशुद्ध वैद्युत प्रणाली किट के फिटमेंट के साथ शुद्ध विद्युत संचालन के लिए मोटर वाहनों का संपरिवर्तन	*एआईएस-123 (भाग 3) में निर्धारित अपेक्षाओं के लिए सुनिश्चित किया जाएगा

टिप्पणः

* समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस-123 (भाग-1) या (भाग 2) या (भाग 3) उस समय तक के जब तक कि तत्स्थानी भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के विनिर्देश, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) के अधीन अधिसूचित नहीं कर दी जाती है, लागू होने के रुप प्रयोग किया जाएगा:

परंतु यह भी संकर विद्युत प्रणाली किट या शुद्ध विद्युत प्रणाली के विनिर्माता या आपूर्तिकर्ता उपर्युक्त सारणी में निर्दिष्ट लागू मानक के अनुसार नियम 126 में विनिर्दिष्ट परीक्षण अभिकरण से अनुमोदित प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करेगा।"

[सं. आरटी-11028/04/2018-एमवीएल]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

टिप्पणः मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 590 (अ), तारीख 2 जून,1989 को प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1225 (अ), तारीख 20.12.2018 के अधीन संशोधित किए गए थे।

भारत का राजपत्र

असाधारण

भाग II-खंड 3-उप-खंड (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

सं. 4142 नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 18, 2018/आश्विन 26, 1940)

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर,2018

का,आ. 5333 (अ).- केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 6 की उपधारा (3) (ढ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश देती है कि धारा 66 की उपधारा 91) के उपबंध, यथास्थिति, माल व यात्रियों के वहन के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त या प्रयोग किए जाने वाले निम्नलिखित प्रकार के परिवहन यानों को लागू नहीं होंगे अर्थात्:-

(i) केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 2 के खंड (प) में यथापरिभाषित बैटरी चालित यान;

(ii) मेथनॉल ईंधन द्वारा चालित कोई यान और;

(iii) इथनॉल ईंधन द्वारा चालित कोई यान।

[फा.सं. : आर टी-11036/80/2012-एमवीएल (भाग-IV)]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव